13/P

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 24/15 तारीख रजू– 28/12/15

सहायक अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग ,उपखण्ड द्वितीय भाडौती , जिला सवाई माधोपुर
———निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– प्रभूलाल सैनी पुत्र बजरंगा सैनी जाति माली निवासी मलारना डूगंर तहसील मलारना डूगर।
2– संरपंच ग्राम पंचायत मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 15/12/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मलारना डूगंर मिसल संख्या 408 दायर दिनांक 12/12/2003 में पारित निर्णय दिनांक 20/12/2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत मलारना डूगंर ने अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारां पारित निर्णय दिनांक 20/12/2003 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थी संख्या 1 मय वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत मलारना डूगंर नें अप्रार्थी संख्या 1 को एक भूखण्ड का दिनांक 20/12/2003 को पट्टा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड के खं0नं0 960 की किस्म गै0मु0सड़क है। जिसका पट्टा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, साथ ही ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक सूचना जारी करे वगैर मात्र 8 दिन में बिना पंचायत अधिनियम के पट्टा विलेख जारी कर दिया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ओ0डी0आर0 सड़कों में निर्धारित 15 मीटर भूमि छोड़कर पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 12 फिट रोड छोड़कर पट्टा दिया गया जो बरसाती पानी के नाले की भूमि है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/10/99 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि निगरानीगुजार द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 20/12/2003 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की है। निगरानीगुजार द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया गया है कि उक्त वाद–अराजीयात के संबंध में सिविल कोर्ट ने अपने दीवानी वि0 प्रा0पत्र संख्या 29/2016 (21/2015) में पारित निर्णय दिनांक 28/02/2017 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त दुकान की यथा स्थिती बनाये रखने हेतु निगरानी गुजार को भी ताफैसला मूल वाद पाबंद किया हुआ है, साथ ही वकील

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

14/8

अप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया है कि अप्रार्थी प्रभू के पक्ष में जारी पट्टा रजिस्टर्ड है जिसे खारिज करने का अधिकार अदालत हाजा को नहीं है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 20/12/2003 यथावत रखने का निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आराजीयात का पट्टा रजिस्टर्ड है एवं रजिस्टर्ड पट्टा खारिज करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 408 दायर दिनांक 12/12/2003 निर्णय दिनांक 20/12/2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर